न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 203 / 17 निर्णय दिनांक : 21.05.2018

उनवान

1. कमालूदीन पुत्र मल्लू खां जाति मेव निवासी ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. सुमेर
2. नन्नू
3. मुहर खां पुत्रांन श्री सुबराती जाति मेव निवासी ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................असल प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 नया 61 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 3.73 हैक्ट0 में से 1/4 भाग 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जो आराजी मिन वादी को उक्त आराजी के सहखातेदारों एवं वादी के मध्य हुए आपसी सहमति से विभाजन में प्राप्त हुई है। जिस पर मिन वादी का कब्जा है, एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मिन वादी का नाम दर्ज है। और मिन वादी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है और वर्तमान में मौके पर काबिज है। मिन वादी उक्त विवादित खातेदारी की आराजी पर नेकनियति से शान्तिर्पूक काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जबकि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी से गैर काबिज शख्स है। परन्तु प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के है। जो लठ के बल से जबरन विवादित आरजी को हडप करना चाहते है। उक्त आराजी में जबरन निर्माण करना चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध असल प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि खाता

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

सं0 नया 61 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 3.73 हैक्ट0 में से 1/4 भाग बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में तामिल बावजूद भी उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में दिनांक 21.05.2018 को पेश हुई। उभयपक्षकारान को आवाज दिलाई गई। उभयपक्ष अनुपस्थित।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में दिनांक 21.05.. 2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी विवादित आराजी के खातेदार है। वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खाता सं0 नया 61 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 3.73 हैक्ट0 में से 1/4 भाग 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत नंगलीमेघा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट नंगलीमेघा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/203/17 निर्णय दिनांक : 21.05.2018

उनवान

1. कमालूदीन पुत्र मल्लू खां जाति मेव निवासी ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. सुमेर
2. नन्नू
3. मुहर खां पुत्रांन श्री सुबराती जाति मेव निवासी ग्राम नंगलीमेघा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..........................असल प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खाता सं0 नया 61 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 3.73 हैक्ट0 में से 1/4 भाग 3 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम सहजपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें व मौके की शक्ल तब्दील न करे मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)